Frequently Asked Questions (FAQ) (IFMS 3.0)

प्रश्न 1– IFMS 3.0 क्या है ?
उत्तर – IFMS 3.0 राजस्थान की एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के विभागों में प्रयोग आने वाले विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर यथा वेतन, पेंशन, बीमा आदि विकसित किये गये हैं।

प्रश्न 2– IFMS 3.0 के अन्तर्गत पेंशन संबंधी क्या प्रावधान है ?
उत्तर – IFMS 3.0 के अन्तर्गत ऑनलाइन पेपरलेस पेंशन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी की वेतन संबंधी सूचनाएं/ब्यौरा से ही पेंशन प्रकरण तैयार किया जाकर न्यूनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से पेंशन अधिकृतियां यथा पेंशन भुगतान आदेश, उपादान भुगतान आदेश, कम्यूटेशन भुगतान आदेश जारी किया जाता है।

प्रश्न 3– आगामी माह में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा अपना पेंशन प्रकरण किस प्रकार अग्रेषित किया जाता है।
उत्तर – IFMS 3.0 के अन्तर्गत आगामी 6 माह में सेवानिवृत होने वाला कोई भी कर्मचारी/अधिकारी अपना पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन विभाग को अग्रेषित कर सकता है।

प्रश्न 4– IFMS 3.0 के अन्तर्गत पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को अग्रेषित करने की क्या प्रक्रिया है।
उत्तर – IFMS 3.0 के अन्तर्गत सेवानिवृत होने वाले अधिकारी/कार्मिक को सर्वप्रथम अपने SSO Login ID के माध्यम से Login करके Employee Self Service (ESS) में जाकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण, वेतन संबंधी ब्यौरा आदि की पुष्टि करनी होगी तथा कम्यूटेशन का विकल्प तथा मनोनयन संबंधी सूचना भी उसमें देनी होगी। Employee Self Service (ESS) की सूचनाओं की पुष्टि उपरान्त पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा।

प्रश्न 5– कार्यालयाध्यक्ष के यहां आगामी कार्यवाही किस प्रकार होती है।
उत्तर – कार्यालयाध्यक्ष के यहां कार्मिक द्वारा प्रेषित प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष के मेकर के यहां प्रदर्शित होता है। मेकर उसको देखता है और सेवापुस्तिका से उसकी पुष्टि करता है चेकर जो कि एक लेखाकर्मी होता है कुल पेंशन योग्य सेवा तथा वेतन जिस पर पेंशन गणना की जानी है, को सत्यापित कर एक प्रमाण पत्र जारी कर अपलोड करता है। उक्त दोनों कार्यवाही होने के बाद कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसको सत्यापित कर प्रकरण पेंशन विभाग को अग्रेषित किया जाता है।

RajKaj Ref No.: 11463841

प्रश्न 6– पेंशन विभाग के स्तर पर क्या कार्यवाही संचालित होती है ?
उत्तर – पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन विभाग को अग्रेषित करने के पश्चात् प्रकरण Random प्रणाली के द्वारा संबंधित पेंशन जोन कार्यालय में कार्यरत किसी भी Auditor को पेंशन प्रकरण आवंटित हो जाता है। अब पेंशन जोन कार्यालय के Auditor के द्वारा पेंशन प्रकरण की जांच की जाती है यदि प्रकरण में किसी प्रकार का कोई आक्षेप हो तो उसकी पूर्ति हेतु जोन पेंशन कार्यालय के सहायक निदेशक/उप निदेशक के द्वारा प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को भेज दिया जाता है। यदि प्रकरण पूर्ण रूप से सही है तो आगे AAO को अग्रेषित कर दिया जाता है। AAO द्वारा प्रकरण में पेंशनर की वेतन एवं सेवा संबंधी सूचनाओं की पुष्टि FR एवं पेंशन कुलक के आधार पर की जाती है। यदि सूचनाएं सही है तो प्रकरण अप्रूवर (सहायक निदेशक/उप निदेशक पेंशन) को अग्रेषित कर दिया जाता है। अप्रूवर के द्वारा प्रकरण सही पाये जाने पर आधार OTP के माध्यम से प्रकरण ई–साइन कर पीपीओ जीपीओ सीपीओ की अधिकृतियां जारी कर दी जाती है। इन अधिकृतियों को कार्यालयाध्यक्ष तथा पेंशनर स्वयं की SSO ID से डाउनलोड कर सकता है।

प्रश्न 7– वर्तमान में IFMS 3.0 पर क्या पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।
उत्तर – ऐसे प्रकरण जिनमें पीपीओ जारी हो चुका है तथा सेवानिवृति उपरान्त पेंशनर की मृत्यु हो गई है, से संबंधित पारिवारिक पेंशन का आवेदन IFMS 3.0 पर ऑनलाइन पेंशनर के पति/पत्नी के द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न 8– उक्त पारिवारिक पेंशनर का आवेदन IFMS 3.0 पर किस प्रकार किया जा सकता है।
उत्तर – IFMS 3.0 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशनर को आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं की SSO Login ID Create करनी होगी (यदि पहले से Create नहीं है तो) इसके माध्यम से Login करके Access Citizen Self Service (CSS) में जाकर Family Pension Request के माध्यम से Death After Retirenment के विकल्प को चुनकर PPO संबंधी सूचना में हां विकल्प चुनकर आगे बढ़े। तत्पश्चात् PPO Number एवं Bank Account के आखिरी 4 अंक डालकर सर्च पर Click करने से पेंशनर का विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। विवरण की पुष्टि कर आगे बढे। अब यहां पेंशनर की मृत्यु से संबंधित आवश्यक सूचनाओं यथा मृत्यु दिनांक एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नम्बर एवं प्रमाण पत्र अपलोड कर आगे बढे। अब जनाधार नम्बर डालने पर सदस्यों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी उसमें जिस सदस्य की पेंशन बननी है उसे चुनकर आगे बढे। अब संबंधित सदस्य की सूचनाओं की पुष्टि कर पारिवारिक पेंशनर की फोटो, जीवन प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अपलोड कर आगे बढे। उसके बाद Cancel Cheque या पासबुक की फोटो प्रति अपलोड कर आगे बढे। तत्पश्चात् संबंधित जनाधार पर रजिस्टर्ड नम्बर पर OTP जाएगा उसे भरकर पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अग्रेषित करें।

RajKaj Ref No.: 11463841

प्रश्न 9– वर्तमान में संशोधित पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग द्वारा किस प्रक्रिया से निस्तारित किये जा रहे है ?
उत्तर :–दिनांक 01.06.2023 से पूर्व सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के संशोधित पेंशन प्रकरण पूर्व की भॉति IFPMS 2.0 से ही निस्तारित किये जा रहे है। जबकि उक्ततिथि के उपरान्त सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के संशोधित पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 से निस्तारित किये जा रहे है ।

प्रश्न 10– संशोधित पेंशन प्रकरण प्रेषित किये जाने की क्या प्रक्रिया है ?
उत्तर :–दिनांक 01.06.2023 से पूर्व सेवानिवृत होने वाले कार्मिक अभी (अग्रिम आदेशों तक) संशोधित पेंशन प्रकरण पूर्व की भॉति Offline प्रेषित करते रहेंगे। जबकि जिन कार्मिकों के पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर निस्तारित हुये है वे एस.एस.ओ आईडी के माध्यम से IFMS 3.0 पर जाकर पेंशनर सेल्फ सर्विस विकल्प में जाकर ई–पेंशन रिविजन के माध्यम से आवेदन करेगा जो कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित पेंशन जोन कार्यालय को अग्रेषित किया जायेगा ।

प्रश्न 11– उपादान राशि जिसे राज्य सरकार द्वारा 20 लाख से 25 लाख किया गया है, कब से लागू है ?
उत्तर :–उक्त अधिकतम सीमा 01.04.2024 के पश्चात सेवानिवृत/मृत्यु होने वाले कार्मिकों पर लागू है ।

प्रश्न 12– पेंशन/पारिवारिक पेशनर के 70/75 आयु पूर्ण करने पर जो क्रमशः 5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया गया है, के लिए क्या आवेदन आवश्यक है ?
उत्तरः– नही, पेंशनर को इसके लिए किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नही है । पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा ये लाभ स्वतः ही सिस्टम पर अपडेट किया जायेगा। किन्तु, यदि किसी पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक पी.पी.ओ में अंकित नहीं है तो पारिवारिक पेंशनर की जन्मदिनांक निर्धारण का आवेदन संबंधित पेंशन जोन कार्यालय जहॉ से पी.पी.ओ जारी हुआ था, में आवेदन करना होगा। तदुपरान्त ही अतिरिक्त पेंशन भत्ता देय होगा।

प्रश्न 13– अतिरिक्त पेंशन भत्ता 5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत किस दिनांक से देय है ?
उत्तर :– 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिनांक 01.04.2024 से एंव 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिनांक 01.04.2023 से देय है।

प्रश्न 14– कितने वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन देय है ?
उत्तर :–वर्तमान में 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन देय है ।

प्रश्न 15– उक्त प्रावधान कब से लागू है ?
उत्तर :–दिनांक 01.04.2023 से लागू है ।

RajKaj Ref No.: 11463841

प्रश्न 16– जीवन प्रमाण पत्र IFMS 3.0 पर ऑनलाईन किस प्रकार प्रेषित कर सकते है ?
उत्तर :–राजस्थान राज्य कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोडकर) अपनी एस.एस. ओआई.डी के माध्यम से IFMS 3.0 पर लॉगिन कर पोर्टल पर राजस्थान राज्य के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

प्रश्न 17– जून माह में सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों के संशोधित पेंशन प्रकरण किस प्रकार निस्तारित किये जायेंगे ?
उत्तर :–जो पेंशनर दिनांक जून 2023 से पूर्व सेवानिवृत हुये है इनके पेशन प्रकरण संबंधित विभाग द्वारा पेंशन विभाग को **ऑफलाईन** प्रेषित किये जायेगे। जबकि उक्त तिथि के पश्चात सेवानिवृत होने वाले पेंशनरो/कार्मिको के संशोधित पेंशन प्रकरण **संबंधित विभाग** द्वारा पेंशन विभाग को IFMS 3.0 **पर ऑनलाईन** प्रेषित किये जायेगे।

RajKaj Ref No.: 11463841